न्यायालय प्रथम अपील अधिकारी एंव जिला कलेक्टर ,टोंक

प्रकरण संख्या 32/2025

मोहसीन रशीद निवासी ताज मंजिल, राज टाकीज रोड टोंक जिला टोंक राज0
——अपीलार्थी

बनाम

राज्य लोक सूचना अधिकारी एंव अति0 जिला कलेक्टर टोंक ——प्रत्यर्थी

अपील अन्तर्गत धारा 19(1) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

निर्णय **दिनांक** 01.05.2025

प्रकरण का संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थी ने सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत ऑनलाईन अपील पेश की है। अपीलार्थी द्वारा राज्य लोक सूचना अधिकारी एंव अति0 जिला कलेक्टर टोंक को आवेदन पत्र दिनांक 20.02.2025 को प्रेषित/प्रस्तुत कर निम्न वर्णित सूचना चाही गईः—

1. टोंक नगर परिषद के पत्र डिस्पैच रजिस्टर की सितंबर 2021 से अक्तूबर 2021 तक की एंट्रीज के पृष्ठों के प्रमाणित प्रतिलिपि ।
2. नजर बाग दरवाजे के सामने, ताल कटोरा के निकट, बग्गी खाना पावर हाउस की दीवार व ट्रांसफार्मर के बीच की भूमि जिस पर नगर परिषद कई बार अवैध कब्जा हटाने के कार्यवाही कर चुकी है, उक्त भूमि को क्या नगर परिषद अपने स्वामित्व की मानती है अथवा नहीं ?
3. नजर बाग, दरवाजे के सामने की भूमि पर अवैध कब्जा कर दुकानें बनायी गई है, क्या नगर परिषद उक्त दुकानों को वैध मानती है अथवा अवैध मानती है ?
4. उक्त भूमि पर किसका अवैध कब्जा है, कब्जा धारकों की जानकारी मय नाम, पता, व मोबाइल नंबर ।
5. उक्त भूमि को कब्जा मुक्त कर भूमि वापस नगर परिषद टोंक के कब्जे में लेने के लिए एवं कब्जा धारकों पर अभी तक क्या कार्यवाही की गई उसकी प्रमाणित प्रतिलिपि ।
6. सोभाग देवी के नाम से, महादेवाली रोड पर पुराने कांजी हाउस पर आवंटित सरस पार्लर किन मापदंडों पर आवंटित किया गया उसकी जानकारी ।
7. उक्त सरस पार्लर के आवेदन के लिए दी गई सम्पूर्ण फाइल एवं दस्तावेजों की प्रमाणित प्रतिलिपि ।
8. टोंक नगर परिषद द्वारा नगर परिषद क्षेत्र में किन किन कॉलेजों को पट्टे आवंटित किए गए उन सभी के नामों की सूची, मय फाइल एवं सभी जमा दस्तावेजों की प्रमाणित प्रतिलिपि ।
9. टोंक नगर परिषद क्षेत्र में किन किन कोचिंग कॉलेजों व अन्य लोगो या प्रतिष्ठानों द्वारा फायर सेफ्टी सेटिफिकेट के लिए आवेदन किए उन सभी की सूची मय पता, उन में से किन किनको फायर सेफ्टी प्रमाण पत्र दिए गए उनकी सूची मय सर्टिफिकेट की प्रमाणित प्रतिलिपि व सर्वे रिपोर्ट ।

जिला कलेक्टर
टोंक

649

10. क्या सिटी पार्क सआदत पवेलियन के निर्माण का कार्य अभी भी प्रगति पर है, अगर नहीं तो क्यों नहीं, और अगर रुकवाया गया है तो उसके रुकवाने का करण अथवा रुकवाने के आदेश की प्रतिलिपि ।

11. नगर परिषद टोंक द्वारा सआदत क्रिकेट पवेलियन टोंक में शहीद स्मारक के निर्माण के लिए निकाले गई 49.95 लाख, व उसके पश्चात बाकी सभी निविदाओं की प्रमाणित प्रतिलिपि ।

12. शहीद स्मारक के निर्माण के लिए कुल कितनी राशि का भुगतान किया गया, कब कब और कैसे कैसे किया गया उसकी सम्पूर्ण जानकारी ।

13. उक्त ठेके से जुड़े सम्पूर्ण दस्तवेज मय NIT, DPR, प्रोपोजल, अनुशंसा व रिपोर्ट्स उपलब्ध कराएँ ।

14. उक्त ठेके से जुड़े सम्पूर्ण पत्र, जैसे अनापत्ति चाही गई, अनापत्ति प्राप्त हुई व अनापत्ति से जुड़े अन्य जो भी पत्र प्राप्त हुए सबकी प्रमाणित प्रतिलिपि ।

15. सिटी पार्क से जुड़े सम्पूर्ण दस्तवेज मय NIT, DPR, प्रोपोजल, अनुशंसा व रिपोर्ट्स उपलब्ध कराएँ।

16. सिटी पार्क से जुड़े सम्पूर्ण पत्र, जैसे अनापत्ति चाही गई, अनापत्ति प्राप्त हुई व अनापत्ति से जुड़े अन्य जो भी पत्र प्राप्त हुए सबकी प्रमाणित प्रतिलिपि ।

अपीलार्थी को निर्धारित समयावधि में सूचना उपलब्ध नहीं होने पर प्रत्यर्थी के विरूद्ध अपील प्रस्तुत की गई है। अपील दर्ज रजिस्टर कर अपील प्रा0पत्र की छायाप्रति राज्य लोक सूचना अधिकारी एंव अति0 जिला कलेक्टर टोंक को पत्र कमांक 501 दिनांक 07.04.2025 को प्रेषित कर रिपोर्ट तलब की गई। अपीलार्थी को सुनवाई हेतु तलब किया गया। अपीलान्ट उपस्थित नही हुए। राज्य लोक सूचना अधिकारी एंव अति0 जिला कलेक्टर टोंक ने पत्र कमांक 410 दिनांक 17.04.2025 से जवाब प्रेषित किया है कि अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचनां आयुक्त नगर परिषद टोंक से संबंधित होने के कारण उक्त प्रार्थना पत्र सूचना के अधिकार अधिनियम की धारा 6(3) के तहत लोक सूचना अधिकारी एवं आयुक्त नगर परिषद टोंक को कार्यालय के पत्र कमांक 399 दिनांक 04.04.2025 से अन्तरित करते हुए प्रार्थी को पत्र कमांक 400 दिनांक 4.04.2025 से सूचित किया गया है। अपीलान्ट द्वारा चाही गई सूचना के प्रथम अपीलेट अधिकारी अद्योहस्ताक्षरकर्ता नही है। अपीलान्ट लोक सूचना अधिकारी एवं आयुक्त नगर परिषद टोंक द्वारा सूचना नही दिये जाने की स्थिति में उनके प्रथम अपीलेट अधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत करने हेतु स्वतंत्र है। अतः अपील में कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं होने से अपील अस्वीकार योग्य है।

फलतः अपील अपीलाण्ट अस्वीकार की जाती है। निर्णय की प्रति राज्य लोक सूचना अधिकारी एंव अति0 जिला कलेक्टर टोंक तथा अपीलार्थी को प्रेषित की जावे।

(डॉ. सौम्या झा)
प्रथम अपील अधिकारी
एवं जिला कलेक्टर टोंक

जिला कलेक्टर
टोंक